www.cbi.gov.in

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो
(सूचना अनुभाग)
5-बी, सी.जी.ओ. कॉम्पलैक्स, लोधी रोड,
नई दिल्ली-110003

प्रेस विज्ञप्ति
नई दिल्ली, 07.04.2017

सीबीआई ने स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद को 53.81 करोड़ रू. (लगभग) की कथित हानि पहुँचाने पर हैदराबाद की प्राइवेट कम्पनी के प्रबन्ध निदेशक एवं अन्यों के विरूद्ध मामला दर्ज किया

सीबीआई ने हैदराबाद की प्राइवेट कम्पनी ; उक्त फर्म के प्रबन्ध निदेशक एवं पॉच अन्य निदेशकों तथा अज्ञात लोक सेवकों और अन्यों के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 120-बी के साथ पठित धारा 419, 420, 468 एवं 471 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(2) के साथ पठित धारा 13(1)(डी) के तहत मामला दर्ज किया।

ऐसा आरोप था कि कम्पनी ने स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, एल.बी. नगर शाखा, हैदराबाद से विभिन्न क्रेडिट सुविधाएँ प्राप्त की एवं इसे वापस जमा नही किया, इससे बैंक को 53.81 करोड़ रू. (लगभग) की कथित हानि पहुँचाई। उक्त बैंक ने समर्थक प्रतिभूतियों जिसे बाद में जाली पाया गया, के आधार पर कम्पनी को विभिन्न क्रेडिट सुविधाएँ मंजूर की और भुगतान कर दिया। ऐसा भी आरोप था कि कम्पनी के निदेशकों ने बैंक के समझ झूठी एवं बनावटी हक विलेख (टाइटल डीड) को समर्थक प्रतिभूतियों के तौर पर पेश किया,समर्थक प्रितभूतियों को बेचा एवं प्राप्त लाभ को अपने व्यक्तिगत प्रयोग के लिए अन्य मद में लगाया, जमानत देने वाले का परनामधारित कराया आदि।

हैदराबाद एवं कोमा रेड्डी (तेलंगाना) स्थित आरोपियों के 06 कार्यालय एवं आवासीय परिसरों में आज तलाशी की जा रही है।

आगे की जॉच जारी है।

****